[2018] 11 एस. सी. आर. 511

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर.

वी.

कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 3164-3165 2017 का)

मार्च 09,2018

[रंजन गोगोई और आर. भानुमती, जे. जे.]

अनुबंध-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध

बांध का निर्माण-श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की गई-प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गई जिसमें एक्स. पी.-20 के अनुसार ब्याज के साथ श्रम वृद्धि शुल्क का दावा किया गया था-जबकि याचिका लंबित थी, अपीलार्थी ने अनुबंध को समाप्त कर दिया-रिट प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका में इसे चुनौती दी गई और Ex.P59 के अनुसार किए गए कार्यों के भुगतान की मांग की गई, जिसमें अपीलार्थी को यू/एक्स. पी.-20 और एक्स. पी.-59 के तहत दावा की गई राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की अनुमति दी गई।

-

2000 के C.A.No.4092 में अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया-अपीलार्थी ने रु। 12,82,96,320 / - हालाँकि, इसके तीन साल बाद, प्रत्यर्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2006 का आई. डी. 1 दायर किया, जिस पर उसे विवादित राशि की वसूली के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई-उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित याचिका, अनुमति-अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतान के विनियोग के तरीके के बारे में मुद्दा और बाद के ब्याज के लिए दावा-आयोजित किया गया: प्रत्यर्थी के अपने बयान से, उसने अपीलार्थी से प्राप्त सभी भुगतानों को पहले देय श्रम वृद्धि यानी मूल राशि के लिए समायोजित किया था, लेकिन जब प्रत्यर्थी ने 2006 का I.A.No.6 दाखिल किया, तो गणना की पूरी विधि।

पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन के लिए भुगतान का समायोजन दिखाकर परिवर्तन किया गया था, केवल यह दावा करने के लिए कि अपीलार्थी द्वारा Rs.12,82,96,320/- के भुगतान के बावजूद, राशि अभी भी देय थी और उसे देय थी-समायोजन/विनियोग की विधि में परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण पहलू को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था-उत्तरदाता ने गणना की विधि को बदलने में उचित नहीं माना -

उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को यू/आई. डी. 2 के तहत भुगतान करने के निर्देश को दरकिनार करते हुए-इसके अलावा, उच्च न्यायालय के यू/आई. डी. 1 के तहत किए गए दावों पर भविष्य

में ब्याज का भुगतान करने के निर्देश को भी दरकिनार करते हुए-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XXI, आर. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बांध-श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी श्रम का दावा करने वाले प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित याचिकाएं एक्स. पी.-20 के अनुसार ब्याज के साथ वृद्धि शुल्क और

अनुमति प्राप्त Ex.P59 के अनुसार किए गए कार्य-2000 के C.A.No.4092 में अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई-सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

प्रतिवादी द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यू/Ex.P20 और Ex.P59 के तहत देय राशि पर ब्याज का दावा करते हुए अनुमति दी गई: उप-ओं के अंतर्गत। (2) एस. 34 , जहाँ एक डिक्री आगे के भुगतान के बारे में चुप है मूल राशि पर ब्याज, यह माना जाएगा कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है-वर्तमान मामले में, क्योंकि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य के ब्याज के लिए कोई निर्देश नहीं था। (2) एस. 34 , यह माना जाना चाहिए कि अदालत ने इस तरह के ब्याज से इनकार कर दिया था-उच्च न्यायालय का बाद में ब्याज का भुगतान करने का निर्देश यू/Ex.P20 और यू/Ex.P59 को दरकिनार कर दिया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 89-मध्यस्थता का संदर्भ

- अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-ठेकेदार के बीच समझौता

बांध का निर्माण-अन्य बातों के साथ-साथ पक्षों के बीच विवाद अतिरिक्त कार्य के दावे यू/Ex.P59-मौखिक के साथ उच्च न्यायालय

पक्ष से लिखित निर्देश के बिना पक्षकारों के वकील की सहमति ने पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा-आयोजित: तब से

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के गंभीर परिणाम हैं - उन्हें दीवानी अदालतों की धारा से दूर ले जाना और उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही की कठोरता के अधीन करना, मध्यस्थता समझौते के अभाव में, अदालत उन्हें केवल लिखित रूप में मध्यस्थता के लिए भेज सकती है।

संयुक्त ज्ञापन या संयुक्त आवेदन के माध्यम से पक्षों की सहमति-पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था-उच्च न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजना चाहिए था मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 7.

भारत का संविधान-कला। 136 - के अधीन अधिकारिता

उच्चतम न्यायालय-आयोजित: यू/आई. डी. 1 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय आम तौर पर तथ्य के साक्षय और निष्कर्षों की फिर से सराहना नहीं करता है, लेकिन जहां उच्च

न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं या निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है, सुप्रीम कोर्ट केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करेगा कि प्रश्न में निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 Ex. पी20-भुगतान की स्वीकृति का प्रारूपः Ex.P20 में अपने दावों की गणना में, प्रतिवादी-ठेकेदार ने स्वयं अपीलार्थी-बोर्ड से प्राप्त सभी भुगतानों को समायोजित किया, केवल मूलधन के लिए और ब्याज के लिए नहीं। प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने प्रत्येक बिल के तहत दावा किए गए "श्रम वृद्धि देय" पर देय ब्याज की अलग से गणना 18 प्रतिशत की दर से की है अर्थात रु. 7,66,35,927/[पैरा 9,10] [524-जी; 525-एफ-जी]

1.2 पार्टियाँ अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। समझौते के खंड ई 1.079 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अपीलार्थी विलंबित भुगतान के लिए प्रत्यर्थी-ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं देगा। यहाँ तक कि प्रतिवादी के अपने दिनांकित पत्र के अनुसार भी

25.11.1994 , प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने केवल मूलधन के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों में कटौती की है और ब्याज का दावा किया है। इस प्रकार, अपनी गणना द्वारा और अपने स्वयं के दिनांकित पत्र 25.11.1994 के अनुसार, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने बोर्ड से प्राप्त सभी भुगतानों को पहले मूलधन के लिए समायोजित किया है। लेकिन जब प्रत्यर्थी ने 2006 का I.A.No.6 दाखिल किया, तो गणना की पूरी विधि को पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन के लिए भुगतान के समायोजन को दिखाकर बदल दिया गया, केवल यह दावा करने के लिए कि बोर्ड द्वारा Rs.12,82,96,320/- के भुगतान के बावजूद, राशि अभी भी देय है और उसे देय है। 2006 के आई. ए. सं. 6 के साथ रुपये के भुगतान का समायोजन करते हुए दाखिल की गई गणना पत्रक में चार करोड़ रुपये (रिट याचिका के पहले दौर के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-ठेकेदार को किया गया भुगतान), इसे पहले ब्याज के खिलाफ और फिर मूल राशि के खिलाफ समायोजित किया गया था। [पारस 11,12] [526-ई-जी; 527-बी-डी]

1.3 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और 2000 के C.A.No.4092 के निपटारे के बाद, अपीलार्थी-बोर्ड ने एक

Rs.12,82,96,320/- का कुल भुगतान। चूँकि प्रत्यर्थी ठेकेदार ने समायोजन की विधि को बदल दिया, अर्थात Rs.12,82,96,320/- के भुगतान के बाद भी, पहले ब्याज और फिर मूलधन के लिए भुगतान को समायोजित करके, उसके अनुसार रु. 3,38,57,618/- अभी भी उसके बकाया थे। विनियोग का यह तरीका, सबसे पहले ब्याज के लिए, निर्देशों [2018] 11 एस. सी. आर. का स्पष्ट उल्लंघन था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ex.P20 के तहत भुगतान करने के लिए दिया गया और समायोजन की विधि जिसे प्रतिवादी-ठेकेदार ने स्वयं Ex.P20 में अपनाया। मूल Ex.P20 में, जब प्रत्यर्थी ठेकेदार ने स्वयं अपीलार्थी द्वारा किए गए सभी भुगतानों को मूलधन के लिए स्पष्ट रूप से समायोजित किया है और ब्याज के लिए नहीं, तो प्रत्यर्थी-ठेकेदार पहले ब्याज के खिलाफ और फिर मूलधन के लिए किए गए भुगतानों के समायोजन को दिखाकर गणना की विधि को बदल नहीं सकता है। समायोजन/विनियोग की विधि में परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण पहलू को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था और उच्च न्यायालय का Ex.P20 के तहत 224/- रुपये का आगे भुगतान करने का निर्देश टिकाऊ नहीं है। [पैरा 13] [528-ए-बी, ई-जी]

1.4 वर्तमान मामले के तथ्यों में एक साथ जवाब देने वाले-ठेकेदार को न्याय दिया जाता है

ब्याज के लिए पहली बार भुगतान का प्रावधानः यदि भुगतान के विनियोग के तरीके के बारे में डिक्री में कोई निर्देश है, तो निर्णय-देनदार द्वारा किए गए किसी भी भुगतान का विनियोग डिक्री में निहित निर्देश के अनुसार सख्ती से होना चाहिए। यदि डिक्री में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, तो सामान्य सिद्धांत यह है कि जहां कोई निर्णय-देनदार भुगतान को कैसे समायोजित किया जाना है, इसके बारे में कोई संकेत दिए बिना भुगतान करता है, यह लेनदार का विकल्प है कि वह पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन के लिए समायोजन करे। लेकिन यदि निर्णय-देनदार ने उस तरीके का संकेत दिया है जिसमें विनियोग किया जाना है, तो लेनदार के पास भुगतान को अलग तरीके से लागू करने का कोई विकल्प नहीं है। विनियोग के तरीके का सामान्य सिद्धांत सबसे पहले ब्याज के भुगतान में और उसके बाद मूल राशि के भुगतान में अपवाद के अधीन है अर्थात पक्ष डिक्री के बावजूद किसी अन्य तरीके से भुगतान के समायोजन के लिए सहमत हो सकते हैं। C.A.No में।

4092 2000 में, सर्वोच्च न्यायालय ने Ex.P20 के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया। और इसलिए, भुगतान का विनियोग/समायोजन सख्ती से किया जाना चाहिए जैसा कि Ex.P20 में कहा गया है। प्रत्यर्थी-ठेकेदार मुड़कर यह नहीं कह सकता कि उसके द्वारा प्राप्त राशि को पहले ब्याज और फिर मूलधन के साथ समायोजित किया जाएगा। [पैरा 14,18 और 19] [528-जी-एच; 531-सी-जी] केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर.

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर.

देय श्रम वृद्धि अर्थात मूल राशि की ओर। प्रत्यर्थी-ठेकेदार गणना की विधि को बदलने में उचित नहीं है और पहले ब्याज और फिर मूल राशि के लिए भुगतान के विनियोग का दावा करता है। प्रत्यर्थी-ठेकेदार का Ex.P20 के तहत ब्याज के साथ 559/रुपये की अतिरिक्त राशि का दावा कायम नहीं रखा जा सकता है और निर्देश उसी का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय को अलग रखा जा सकता है। [पैरा 20,21] [531-जी-एच; 532-ए-डी]

1.6 एक-दूसरे का जवाब-ठेकेदार है

EX.P20 में दावा किए गए खाते पर समान रुचि रखने के लिए शामिल किया गया: Ex.P20 "श्रम वृद्धि शुल्क" और उस पर अलग से दावा किए गए "ब्याज" से संबंधित है। मुकदमेबाजी के पहले दौर (1995 का ओ. पी. No.283) में, भविष्य के हित के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी; इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा बाद में ब्याज के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। 2000 के सी. ए. No.4092 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता बोर्ड को केवल 9 प्रतिशत कम ब्याज के साथ Ex.P20 में दिखाई गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। पी. ए. उच्चतम न्यायालय द्वारा Ex.P20 पर बाद में ब्याज का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं था। [पारस 22,23] [532-ई-जी; 533-सी-डी]

1.7 सी. पी. सी. की धारा 34 की उप-धारा (2) के तहत, जहां एक डिक्री मूलधन पर आगे ब्याज के भुगतान के बारे में चुप है।

कुल मिलाकर, यह माना जाएगा कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान मामले में, चूंकि सी. पी. सी. की धारा 34 की उप-धारा (2) को देखते हुए भविष्य के ब्याज के लिए कोई निर्देश नहीं था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अदालत ने इस तरह के ब्याज को अस्वीकार कर दिया है। प्रत्यर्थी-ठेकेदार [2018] 11 एस. सी. आर. के बाद Ex.P20 के तहत देय राशि पर आगे ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(19.07.2000) . प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने स्वयं 2000 के सीए No.4092 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को समझा था कि Ex.P20 के तहत देय राशि पर आगे ब्याज के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं था। 2006 के आई. ए. सं. 6 में, प्रत्यर्थी ठेकेदार ने विशेष रूप से आगे के ब्याज के भुगतान के लिए अनुरोध किया [2006 के आई. ए. सं. 6 में प्रार्थना (i)] जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 के आई. ए. सं. 6 का निपटान करते समय अपने दिनांकित 24.09.2000 आदेश में नहीं दिया गया था। अपीलार्थी-बोर्ड ने कुल Rs.12,82,96,320/- की राशि का भुगतान किया है और बोर्ड के अनुसार, उसने प्रतिवादी-ठेकेदार को रु. 1,74,75,247/- की अतिरिक्त राशि का अधिक भुगतान किया है। के अंतर्निहित क्रम में किसी भी दिशा के अभाव में उच्च न्यायालय और 2000 के सी. ए. No.4092 में उच्चतम न्यायालय का आदेश बाद के ब्याज का भुगतान करने के लिए, प्रतिवादी-ठेकेदार नहीं है

Ex.P20 के तहत देय राशि पर बाद के ब्याज का दावा करने का हकदार है। उच्च न्यायालय का बाद में भुगतान करने का निर्देश

Ex.P20 के तहत रु. 1,83,23,665/- का ब्याज टिकाऊ नहीं है। अपीलार्थी को निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय Ex.P20 के तहत रु. 4,12,58,224/- का भुगतान करने के लिए बोर्ड को अलग रखा गया है। [पारस 24,25 और 26] [533-डी-एच; 533-ए-डी]

1.8 अतिरिक्त के लिए EX.P59 के तहत दावा करें

कार्य और विषयगत रुचिः Ex.P20 में,

प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने स्वयं मासिक आधार पर श्रम वृद्धि की गणना की और अपने स्वयं के पूर्व उदाहरण का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने मासिक आधार पर श्रम वृद्धि की गणना करने के प्रतिवादी के अपने तरीके को ध्यान में नहीं रखा और श्रम वृद्धि और सामग्री वृद्धि को क्रमशः 173.60% और 98% की एकल समान दर पर अनुमति देने में गलती की और उच्च न्यायालय का रु. 5,81,53,892/- का भुगतान करने का निर्देश टिकाऊ नहीं है। तब से

अपीलार्थी ने रुपये. 1,55,65,817/- की राशि को Ex.P59 के तहत देय के रूप में स्वीकार किया है, जो मासिक आधार पर गणना की गई श्रम वृद्धि और सामग्री वृद्धि के साथ देय है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बाद में ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है - Ex.P59 के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर रु. 2,98,17,262/-। भविष्य में ब्याज का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. के पहले दौर में। वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर.

मुकदमेबाजी में, उच्च न्यायालय ने केवल अपीलार्थी को Ex.P20 में आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। व्यक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सी. पी. सी. की धारा 34 की उप-धारा (2) के तहत, Ex.P59 के तहत भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं है। उच्च न्यायालय का भविष्य का भुगतान करने का निर्देश

Ex.P59 के तहत किए गए दावों पर रु. 2,98,17,262/- का ब्याज टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा जा सकता है। [पारस 32,33] [534-डी; 536-ए; 537-ए-डी]

1.9 आर्बिट्रेशन का संदर्भ: मध्यस्थ/न्यायाधिकरण पक्षों के बीच अनुबंध का एक हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था। धारा 7 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए न्यायिक पूर्व शर्त

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 यह है कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ या प्रस्तुति की मांग करनी चाहिए। जहाँ तक धारा 89, सी. पी. सी. के तहत मध्यस्थता के लिए किसी विवाद का संदर्भ है, वही तभी किया जा सकता है जब पक्ष धारा 89, सी. पी. सी. में निर्धारित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्य तरीकों के विपरीत मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद के निपटारे के लिए सहमत हों। जहाँ तक मध्यस्थता के लिए पक्षों के संदर्भ का संबंध है, निर्देश के लिखित ज्ञापन के बिना वकील द्वारा दी गई मौखिक सहमति निम्नलिखित आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

1.10 धारा 89 सी. पी. सी. के तहत, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना तभी किया जा सकता है जब पक्षकार इसके लिए सहमत हों। न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त आवेदन या एक संयुक्त शपथ पत्र द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटान। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। एक बार जब पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, तो कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार होगी और मामला दीवानी अदालत की धारा से बाहर जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 19 के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण [2018] 11 एस. सी. आर. करेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्षय अधिनियम से बाध्य नहीं होना। एक बार पुरस्कार पारित हो जाने के बाद, पुरस्कार को केवल सीमित आधारों के तहत अलग रखा जाएगा। इसलिए, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के प्रक्रियात्मक रूप से गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं और मूल रूप से। जब पक्षकारों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, एक संयुक्त ज्ञापन या पक्षों के संयुक्त आवेदन के बिना, उच्च न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करना चाहिए था। पक्षकारों को संदर्भित करने वाला विवादित आदेश

मध्यस्थता, किसी भी स्थिति में अन्य आधारों पर भी कायम नहीं रखी जा सकती है। मध्यस्थ ने 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.19,98,05,805.72 के लिए पुरस्कार पारित किया था, जिसे बाद में 29.10.2012 पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.21,55,34,430.55 के रूप में सही किया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 37 (2013 की मध्यस्थता अपील संख्या-47) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी को निर्देश देते हुए-बोर्ड को पाँच करोड़ रुपये का भुगतान करना प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने 20.02.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से वचन पत्र प्रस्तुत करने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 की मध्यस्थता अपील संख्या Z-47 को उच्च न्यायालय में वापस भेजने का निर्देश दिया। चूंकि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप 2013 की मध्यस्थता अपील संख्या-47 केरल के समक्ष लंबित है।

उच्च न्यायालय को अनुमति दी जाएगी। [परिच्छेद 39,40 और 42] [538-बी-सी; 540-एफ-एच; 541-ए-बी, ई-एच]

1.12 न्यायपालिका के तहत अभ्यास में

भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद: भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय आम तौर पर तथ्य के साक्षय और निष्कर्षों की फिर से सराहना नहीं करता है, लेकिन जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं या निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है, तो सर्वोच्च न्यायालय केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करेगा कि प्रश्न में निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं। वर्तमान मामले में, रुपये के अनुबंध के लिए। मूल पी. ए. सी. राशि के तहत 7.76 करोड़ रुपये और संशोधित पी. ए. सी. राशि के तहत 7.76 करोड़ रुपये। 10.40 करोड़, अपीलार्थी-बोर्ड ने अब तक रु। 56.58 करोड़ और अतिरिक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2017 के आदेश द्वारा पाँच करोड़ रुपये। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. जैसे सांविधिक निकाय को नुकसान पहुँचाते हैं।

वी. कुरियन ई., कलथिल और ए. एन. आर.

अपीलार्थी-बोर्ड, उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करेगा

उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा वचन देने के अधीन पांच करोड़। Ex.P59 के अनुसार, प्रतिवादी-ठेकेदार ने दावा किया

रुपये. 5,55,62,597/- किए गए काम के लिए; सामग्री वृद्धि और श्रम वृद्धि शुल्क का अतिरिक्त दावा किया गया। स्वीकार की गई राशि

Ex.P59 के तहत केवल रु. 1,55,65,817/- था। Ex.P59 के तहत दावा की गई राशि पर भी बाद में ब्याज नहीं लगेगा। सामग्री वृद्धि और अतिरिक्त श्रम वृद्धि शुल्क की गणना केवल मासिक आधार पर की जानी है। चूंकि प्रत्यर्थी-ठेकेदार को रु. 6,74,75,247/- (रु. 1,74,75,247/- और रु. 5,00,00,000/-) की राशि का भुगतान किया गया है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि इसे निविदा अतिरिक्त, सामग्री और श्रम वृद्धि शुल्क सहित Ex.P59 के तहत सभी दावों का पूर्ण त्याग माना जाए। [पैरा 46] [543 एफ-जी; 544-ए]

गुरप्रीत सिंह बनाम। भारत संघ (2006) 8 एससीसी 457: [2006] 7 पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 422 आया।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम आर. एस. अवतार सिंह एंड कंपनी (2013) 1 एससीसी 243: [2012] 10 एससीआर 701; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड और अन्य। (2010) 8 एससीसी 24: [2010] 8 एस. सी. आर. 1053; शैलेश धैर्यवान बनाम। मोहन

बालकृष्ण लुल्ला, (2016) 3 एससीसी 619 [2015] 12 एस. सी. आर. 70; महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एससीसी 141: [2009] 3 एससीआर 1122

पर भरोसा किया।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य v. कुरियन ई. कलाथिल और अन्य (2000) 6 एससीसी 293: [2000] 1 पूरक।

एससीआर 581; मेघराज और अन्य बनाम। श्रीमती बायबाई और [2018] 11 एस. सी.

अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 274: [1970] 1 एससीआर 523;

वी. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। (1995) 4 एस. सी. सी. 26 [1995] 3 एस. सी. आर. 765; प्रेमनाथ कपूर और

एन. आर. वी. भारतीय राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड

और अन्य (1996) 2 एस. सी. सी. 71: [1995] 5 पूरक। एससीआर

790 ; बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

और ओआरएस। , (1992) 1 एससीसी 31: [1991] 1 पूरक। एससीआर 187; बनवारी लाल बनाम। चंदो देवी (श्रीमती) (एल. आर. के माध्यम से) और

एन. आर. (1993) 1 एस. सी. सी. 581 [1992] 3 पूरक। एससीआर 524;

गुरप्रीत सिंह बनाम। चतुर भुज गोयल (1988) 1 एससीसी 270 : [1988] 2 एस. सी. आर. 401; ताहेराखातून (डी) एल. आर. द्वारा। वी.

सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी. 635: [1999]

1 एस. सी. आर. 901-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 पूरक। एससीआर 581

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[1970] 1 एससीआर 523

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1999] 1 एससीआर 555

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 765

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[1995] 5 पूरक। एससीआर 790

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2006] 7 पूरक। एससीआर 422

पीछा किया।

पै

रा 17

[2012] 10 एससीआर 701

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2010] 8 एससीआर 1053

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2015] 12 एससीआर 70

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[1991] 1 पूरक। एससीआर 187

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

[1992] 3 पूरक। एससीआर 524

संदर्भित किया गया है

पैरा 38 केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. डी. आर. वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर.

[1988] 2 एससीआर 401

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1999] 1 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2009] 3 एससीआर 1122

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 3164

3165 2017 का

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. में दिनांकित 28.01.2009 निर्णय और आदेश से।

31108 एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 2009 (सी) के आर. पी. सं. 542 में 2007 (सी) का आदेश और दिनांक 23.06.2009।

कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कौशिक मिश्रा, शिवेंद्र सिंह,

सुश्री दीपांशी इशर, ए. रघुनाथ, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ई. एम. एस. अनम, दिलीप पिल्लई, जी. प्रकाश,

जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वी. एल., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. भानुमति, जे. 1. इनके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं।

डब्ल्यू. पी. में दिनांकित 28.01.2009 का विवादित निर्णय। (ग) 2007 का No.31108 और 2009 के R.P.No.542 में दिनांकित 23.06.2009 का आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के. एस. ई. बी.) को अपीलकर्ता-बोर्ड और प्रतिवादी-ठेकेदार के बीच एक अनुबंध से उत्पन्न विवाद में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ Rs.12,92,29,378/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. अपीलार्थी-बोर्ड और प्रत्यर्थी के बीच विवाद

ठेकेदार का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला था। जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण ये अपीलें दायर की गईं, वे इस प्रकार हैं: - अपीलार्थी-केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के. एस. ई. बी.) ने बनसुरा सागर योजना (कुट्टियाडी संवर्धन योजना) के संबंध में पडिंजरेथारा में करमानथोडू पर एक समग्र बांध के निर्माण के लिए 16.09.1981with प्रतिवादी ठेकेदार पर एक समझौता किया। काम शुरू होने के बाद, केरल सरकार ने दिनांक 30.03.1983 पर एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा कार्यों में कार्यरत श्रमिकों की कुछ श्रेणियों को देय न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में उल्लिखित को 01.04.1983 से संशोधित किया गया था। प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने 01.04.1983 [2018] 11 एस. सी. आर. से श्रम वृद्धि शुल्क का दावा किया।

दिसंबर, 1984 तक। केरल सरकार ने इस संबंध में विवाद के निर्णय के लिए मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में निर्धारित मजदूरी दरों और अन्य लाभों के लिए बांध के निर्माण के लिए नियोजित श्रमिकों का दावा। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 14.10.1993holding का निर्णय पारित किया कि केरल सरकार की अधिसूचना प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों पर लागू होती है।

3. प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने 1995 का O.P.No.283 दाखिल किया जिसमें श्रम वृद्धि शुल्क के लिए रु. 6,32,84,050/- की राशि का दावा किया गया था और

रुपये की राशि 15.01.1985 से 31.10.1994 की अवधि के लिए प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा जारी किए गए विभिन्न बिलों के संबंध में Ex.P20 के तहत देय 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज है। जब उक्त रिट लंबित थी, अपीलार्थी-बोर्ड ने अनुबंध को समाप्त कर दिया

प्रत्यर्थी-ठेकेदार, जिसे अनुबंध की समाप्ति के खिलाफ और प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों (Ex.P59) के भुगतान के लिए 1997 का O.P.No.10759 दायर करके फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के एक सामान्य निर्णय द्वारा दोनों याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि अनुबंध की समाप्ति मनमाना थी और अपीलकर्ता-बोर्ड को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा आई. डी. 2 के अनुसार श्रम वृद्धि के भुगतान के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावा की गई राशि का भुगतान करे, जिसका ठेकेदार ने अलग से दावा किया था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-बोर्ड को प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा किए गए अतिरिक्त काम के लिए Ex.P59 के तहत प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

4. इससे व्यथित होकर, के. एस. ई. बी. ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड में रिपोर्ट किए गए 2000 के C.A.No.4092 में अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक अन्य वी। कुरियन ई. कलाथिल और अन्य, (2000) 6 एससीसी 293। निर्णय के पैरा (11) में, इस न्यायालय ने कहा कि के बीच अनुबंध

पक्षकार निजी कानून के दायरे में हैं और एक वैधानिक अनुबंध नहीं है और रिट याचिका में मामले को उत्तेजित नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध वर्ष 1981 का था और न्यूनतम मजदूरी के लिए अधिसूचना 1983 में जारी की गई थी और विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जिसमें प्रतिवादी ठेकेदार को राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था। जहाँ तक Ex.P59 का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. द्वारा दायर समीक्षा याचिका। वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

अपीलार्थी-बोर्ड को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया

07.12.2000 . अपीलार्थी-बोर्ड ने अब तक Rs.12,82,96,320/- के तहत Ex.P20 की राशि का भुगतान किया है जिसे प्रतिवादी ठेकेदार द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया था।

5. Ex.P20 के तहत भुगतान के तीन साल बाद, प्रतिवादी ठेकेदार ने 2006 का I.A.No.6 दायर किया, जिसमें अदालत को इस अदालत के फैसले के तहत देय भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें आगे ब्याज का भुगतान तुरंत किया जाना है। 2006 के आई. ए. सं. 6 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

" उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के आधार पर, केरल राज्य विद्युत बोर्ड को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा।

याचिकाकर्ता-ठेकेदार। मात्रा को लेकर विवाद है

उचित समय के भीतर उचित निर्देश।
6. प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने डब्ल्यू. पी. दायर किया। (ग) 2007 से पहले का No.31108

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-बोर्ड को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की। दिनांक 28.01.2009 के विवादित फैसले से, उच्च न्यायालय ने अनुमति दी बोर्ड को भुगतान करने का निर्देश देने वाली रिट याचिका: (i) Ex.P20 के तहत रु. 4,12,58,224/- [रु. 2,29,34,559/- (मूलधन) प्लस रु. 1,83,23,665/- (ब्याज)] और (ii) रु. 8,79,71,154/- [रु. 5,81,53,892/- (मूलधन) प्लस रु. 2,98,17,262/(ब्याज)] श्रम वृद्धि शुल्क और सामग्री वृद्धि शुल्क जोड़ने के बाद किए गए अतिरिक्त काम के लिए देय राशि के लिए। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि Ex.P20 और Ex.P59 के तहत 31.12.2008 पर देय कुल राशि Rs.12,92,29,378/- थी जिसका भुगतान अपीलार्थी-बोर्ड द्वारा भुगतान की तारीख तक 01.01.2009 से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर किया जाना है। जहाँ तक किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पक्षों को अपील में विवादित वस्तुओं पर आपस में परस्पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पक्षों के वकील की सहमति से, उच्च न्यायालय ने मामले को केरल उच्च न्यायालय [2018] 11 एस. सी. आर. के पूर्व न्यायाधीश, एकमात्र मध्यस्थ न्यायमूर्ति के. ए. नायर के पास भेज दिया।

उन मदों से संबंधित विवाद को हल करने के लिए जिन्हें वे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं कर सके। अपीलार्थी-बोर्ड ने 2009 की R.P.No.542 वाली समीक्षा दायर की, जिसे 23.06.2009 पर खारिज कर दिया गया। पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी-बोर्ड हमारे सामने है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और इस न्यायालय के विवादित फैसले और फैसले का भी अध्ययन किया है।

2000 का <आई. डी. 1 और 2006 का आई. ए. सं. 6 और अभिलेख पर अन्य सामग्री। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और चूंकि सार्वजनिक धन शामिल है, हम इसे तथ्यों और अभिलेख पर सामग्री की पुनः सराहना करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानते हैं या अन्यथा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता-बोर्ड को अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को पारित किया जाता है।

8. EX.P20-श्रम निष्कासन के लिए दावा और

Rs.12,82,96,320/-, रु. 3,38,57,618/- की राशि अभी भी उसे Ex.P20 यानी मूलधन (रु. 2,29,34,559/-) और बाद के ब्याज (रु. 1,09,23,059/-) के तहत भुगतान की जानी है। के. एस. ई. बी. द्वारा 10.02.2003 के अनुसार, इसने कुल रु. 12,82,96,320 / - Ex.P20 के तहत और वास्तव में रु. 1,74,75,247/- का अतिरिक्त भुगतान किया। रुपये. 4,12,58,224/- के तहत Ex.P20 की राशि का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के दो घटक हैं: - (i) प्रत्यर्थी का दावा-Ex.P20 के तहत मूलधन के रूप में देय ठेकेदार रु. 2,29,34,559/- और (ii) उस पर बाद का ब्याज। Ex.P20 के तहत देय राशि में विवाद दो गुना है: -(i) बोर्ड द्वारा किए गए भुगतान के विनियोग का तरीका; और (ii) बाद के ब्याज के लिए दावा।

9. Ex.P20-भुगतान की मंजूरी का तरीका

प्रत्येक बिल के तहत और अलग से "श्रम वृद्धि देय" दिखाया गया है गणना/विनियोग की विधि दिखाते हुए प्रत्येक बिल। उचित मूल्यांकन के लिए, हम उपयोगी रूप से बिलों के तहत किए गए दावों का उल्लेख कर सकते हैं।

CC.14 से CC.18 और फिर CC.68 से CC.75 (Ex.P20), जो नीचे पढ़ा जाता है:

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

इसी महीने के लिए न्यूनतम वर्तमान मजदूरी का सी. सी. अर्थ मूल्य अंतर फॉर्मूला लेबर एडवर्स टिप्पणी ना जिसके लिए काम मजदूरी-सूचकांक DA.at बुनियादी एच. आई. कुल

वृ

द्धि प्राप्त हुई

मेर संख्या 0.06 पी. एस. वेतन भत्ते के लिए किया गया (आर) से संबंधित है

दु

आ

100 अंकों में

एजीटी। जैसा कि सरकार में

मेप्पा-अधिसूचना

डी यह

1 2 3 4 5 66 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 CC.14 12/84 2651230.00 13.00 316216 12.96 12.90 3.74 28.70 15.70 3.08x 15.70x 2651230 1282029.00 -

100

CC.15 1/85 3885356.00 13.00 316216 12.96 12.00 3.74 28.70 15.70 3.08x 15.70x 3885356 1878803.00

(एव.)

82/85

100

CC.16 3/85 2520496.00 13.00 314 214 12.84 12.00 3.73 28.57 15.57 3.08x 15.57x 2520496 1208719.00

100

CC.17 4/85 1591848.00 13.00 316216 12.96 12.00 3.74 28.70 15.70 3.08x 15.70x 1591848। 769754.00

100

CC.18 5/85 3782666.00 13.00 318218 13.08 12.00 3.76 28.76 15.76 3.08x 15.76x 3782665 1836136.00

100

CC.68 12/91। 203900200 13.00 545 445 26। 12. 00 5.81 44.51 31.51 3.08x 31.51 x 2039002 1978868.00

70

100

15.1.92 पर प्राप्त अग्रिम के तरीके और साधन

3000000.00

452 27.12 12.00 5.81 44.99 31.99 3.08 X 31.99X 2221294 2188623.00

CC.69 1/92 222129400 13.00 552

100

CC.70 2/92 250230400 13.00 553 453

27.18 12.00 5.88 45.06 32.06 3.08 X 32.06X 2502304 2470895.00

100

13.3.92 पर प्राप्त अग्रिम के तरीके और साधन

3000000.00 CC.71 3/92 2248500.00 13.00 552 452 27.12 12.00 5.87 44.99 31.99 3.08 X 31.99X 2248500 2215429.00

100

CC.72 4/92 1312431.00 13.00 553 453 27.18 12.00 5.88 45.06 32.06 3.08 X 32.06 X 1312431 1295957.00

100

CC.73 5/92 2608465.00 13.00 558 458 27.48 12.00

5.92 45.40 32.40 3.08 X 32.40X 2608465 2603039.00

100

CC.74 6/92 3573468.00 13.00 562

462 27.72 12.00

5.96 45.68 32.68 3.08 X 32.68X 3573468 3996853.00

100

30.10.92 पर प्राप्त अग्रिम के तरीके और साधन

3000000.00

14.1.93 पर एडहॉक एडवांस प्राप्त हुआ

2500000.00

CC.75 1/93 2088949.00 13.00 593

493 29.58 12.00 6.24 47.82 34.82 3.08 X 34.82X 2088949 2240306.00

100

6, 32,84,050 .

00

इसी तरह, सभी बिलों के लिए, प्रतिवादी-ठेकेदार ने मासिक आधार पर "किए गए काम का मूल्य", "मजदूरी में अंतर" और "श्रम वृद्धि शुल्क" की गणना की है। सभी बिलों के तहत दावे की गणना करने के बाद, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने कॉलम संख्या में प्राप्त अग्रिमों की तारीखें दिखाई थीं। (14) और मूलधन की ओर प्राप्त अग्रिम राशि को काट लिया और अंत में श्रम वृद्धि के लिए देय कुल राशि के रूप में रु. 6,32,84,050/दिखाया। जैसा कि उपरोक्त सारणीबद्ध कॉलम से देखा गया है, Ex.P20 में अपने दावों की गणना में, प्रतिवादी ठेकेदार ने स्वयं अपीलकर्ता बोर्ड से प्राप्त सभी भुगतानों को समायोजित किया, केवल मूलधन के लिए और ब्याज के लिए नहीं।

10. प्रतिवादी-ठेकेदार ने अलग से गणना की है

प्रत्येक बिल के तहत दावा किए गए "श्रम वृद्धि देय" पर 18 प्रतिशत की दर से देय ब्याज अर्थात रु. 7,66,35,927/-। उचित प्रशंसा के लिए, हम

उपयोगी रूप से CC.14 से CC.18 और CC.68 से CC.75 तक के बिलों का उल्लेख किया जा सकता है कि ब्याज की गणना कैसे की गई और अलग से दावा कैसे किया गया जो नीचे दिए गए हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवधि सं। ब्याज टिप्पणियों
की दर

श्रम

से संचित तिथि

कम।

सं. 38 वृद्धि अग्रिम शेष जो देय है

बकाया ब्याज

से लेकर

प्राप्त किया

दिन।

दे।

3 ला ला

4

12,82, 029.00 15 1.85 15 1.85 14.3.85 59
18 % 37,30200

OC.14 12,82,029.00

31,60,83200 15385 153.85 14.4.85 31 18
% 48,32200

CC.15 18,78,803.00

14.5.85 30 18 %
64, 645.00

CC.16 12,08,719.00

43,69, 551.00 15485 154.85

51,39, 305.00 15585 155.85 14.685 31
18 % 78, 568.00

OC.17 7,69,754.00

ओ. सी. 18 18,36, 136.00

605,22, 166.00 151.92 151.92

18
% 9,25,24300

14.292 31

OC.68 19,78,868.00

तरीके और साधन 30,00,000.00 अग्रिम

OC.69 21,88,623.00

597,10, 789.00 15292 152.92

18
% 8,53,94600

14.392 29

18
% 9,50,61300

621,81, 684.00 15.392 153.92

14.4.92 31

OC.70 24,70,895.00

तरीके और साधन 30,00,000.00 अग्रिम

613,97, 113.00 15492 154.92

CC.71 2215,42900

14.5.92 30

18
% 9,08, 341.00

CC.72 12,96,957.00

626,93,07000 15592 155.92 14.692 31

18

% 9,58, 431.00

652,96, 109.00 15692 156.92 14.7.92 30

18

% 9,66, 025.00

CC.73 26,03,039.00

18

% 73,04, 541.00

688,92, 962.00 15.7.92 157.92 14.293

215

CC.74 35,96,853.00

तरीके और साधन 3000,000.00

अग्रिम एडहॉक एडवांस

25,00, 000.00

CC.75 22,40,306.00

656,33, 268.00 15293

152.93 14.393 28

18

9,06, 279.00

कुल ब्याज कम हो गया।

7,66 , 35 , 927

11. पार्टियाँ अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। खंड ई 1.079

दिनांकित 16.09.1981 समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अपीलकर्ता विलंबित भुगतान के लिए प्रतिवादी-ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं देगा। समझौते का खंड ई 1.079 निम्नानुसार है:

" ई 1.079

विवाद आदि के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं। बोर्ड द्वारा ब्याज या नुकसान के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में जो उसके पास हो सकती है बोर्ड के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण

एक तरफ इंजीनियर और दूसरी तरफ ठेकेदार

या प्रभारी अभियंता की ओर से किसी भी देरी के संबंध में

आवधिक या अंतिम भुगतान या कोई सम्मान जो भी हो, और

बोर्ड किसी भी ब्याज या नुकसान या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

ठेकेदार "।

यहां तक कि प्रतिवादी के अपने पत्र No.D.W/94/090 दिनांकित 25.11.1994 के अनुसार, प्रतिवादी-ठेकेदार ने केवल मूलधन के लिए भुगतान किए गए अग्रिम की कटौती की है और ब्याज का दावा किया है। उक्त पत्र इस प्रकार है:

प्रत्येक सी. सी. विधेयक के विरुद्ध देय श्रम वृद्धि का विवरण देना, मुझे भुगतान किए गए अग्रिमों में कटौती करना जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. के खिलाफ समायोज्य हैं।

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

इस प्रकार अग्रिम राशि में कटौती करने के बाद यह रु. 6,32,84,050.00 तक काम करता है। प्राप्त हुआ। देय ब्याज राशि का भी निर्धारण कर लिया गया है।

रुपये. 7,66,35,927.00। 31.10.1994 पर देय कुल राशि है Rs.13,99,19,1977.00। यह राशि मुझे बिना भुगतान किए दी जा सकती है।

और देरी "।

इस प्रकार अपनी गणना द्वारा और अपने स्वयं के दिनांकित पत्र 25.11.1994 के अनुसार, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने बोर्ड से प्राप्त सभी भुगतानों को पहले मूलधन के लिए समायोजित किया है।

12. लेकिन जब प्रतिवादी ने 2006 का I.A.No.6 दाखिल किया, तो पूरा

भुगतान के समायोजन को दर्शाकर गणना की विधि को बदल दिया गया था।

सबसे पहले ब्याज की ओर और फिर मूलधन की ओर, केवल यह दावा करने के लिए कि बोर्ड द्वारा Rs.12,82,96,320/- के भुगतान के बावजूद, राशि अभी भी देय है और उसे देय है। चार करोड़ रुपये (भुगतान) के भुगतान का समायोजन करते हुए 2006 की आई. ए. संख्या 6 के साथ दायर गणना पत्रक में

रिट याचिका के पहले दौर के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-ठेकेदार को दी गई), इसे पहले ब्याज के खिलाफ और फिर मूल राशि के खिलाफ समायोजित किया गया था। 2006 के I.A.No.6 में प्रत्यर्थी ठेकेदार द्वारा दायर गणना पत्रक निम्नानुसार है:

ब्याज @9 प्रतिशत (रुपये में)

मूलधन (रुपये में)

टिप्पणियां

विशिष्टताएँ

संतुलन डी. आर. सी. आर. तिथि

डी आर सी आर शेष

63284050

श्रम की मूल राशि

केरल राज्य से प्राप्त राशि विद्युत बोर्ड को सबसे पहले समायोजित किया जाता है।

सीसी 78 तक वृद्धि

एक्स. पी20

ब्याज और फिर मूल राशि

40218107 के लिए सीसी 78 तक का ब्याज 20.6.95 तक की अवधि

20.06.95 प्राप्त राशि रु। 1 करोड़

10000000 30218107

21.6.95 से 132.96 3713820 तक ब्याज

33931927

13.02.96 प्राप्त राशि Rs.10 अयस्क

10000000 23931927

142.96 से 23.2.96 156043 तक का ब्याज

24087970

23.02.96 प्राप्त राशि 2 करोड़ रुपये

20000000 4087970

ब्याज 24.296 से 20.3.01 28867930 32955900

7044100 20.03.01 प्राप्त राशि (4 करोड़)

56239950

32955900 0 4 करोड़ रुपये में से पुरस्कार प्राप्त हुए।

इस तारीख को Rs.32955900/- को मिटा दिया गया है

और शेष राशि Rs.7044 100 समायोजित की गई

मूल राशि के विरुद्ध

ब्याज 21.3.01 से 5.901

2343588

7656412 05.09.01 प्राप्त राशि (1 करोड़)

48583538

2343588 0 प्राप्त 1 करोड़ रुपये में से इस तारीख तक का ब्याज Rs.2343588/- समाप्त हो जाता है।

और शेष राशि Rs.7656412 समायोजित की गई मूल राशि के विरुद्ध

6.9.01 से 12.10.01 443242 तक ब्याज

19556758 12.10.01 प्राप्त राशि (2 करोड़)

29026780

443242 0 2 करोड़ रुपये में से ब्याज प्राप्त हुआ

इस तारीख को Rs.443242/- मिटा दिया जाता है और

शेष राशि Rs.19556758 पुनः समायोजित की गई मूल राशि

ब्याज 13.2.01 से 1.6.02 1660491

5071504 01.06.02 प्राप्त राशि (6731995)

23955276

1660491 0 Rs.67 में से 31,995/- ने प्राप्त किया

इस तारीख को

ब्याज Rs.1660491/- है

मिटा दिया

और संतुलन Rs.5071504 /

मूल राशि के

विरुद्ध समायोजित

ब्याज 2.6.02 से 17.8.02 तक

454822

1221156 17.08.02 प्राप्त राशि (1675978)

454822 0 Rs.16 में से

75,978/- ने प्राप्त किया

22734120

इस तारीख को

ब्याज Rs.454822/- है

मिटा दिया

और संतुलन Rs.1221156

मूल राशि के

विरुद्ध समायोजित

ब्याज 18.8.02 से 10.2.2003 992204 तक

8896143 10.02.03 प्राप्त राशि (9888347)

992204 0 Rs.98 में से,

88,347/- प्राप्त हुए,

13837977

इस तारीख को

ब्याज Rs.992204/- है

मिटा दिया

और संतुलन Rs.8896143 /

मूल राशि के

विरुद्ध समायोजित

112.03 से 31.5.05 2866168 तक ब्याज

2866168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और निपटारे के बाद

2000 के C.A.No.4092 में, अपीलार्थी-बोर्ड ने कुल भुगतान किया रु. 12,82,96,320 / - . चूँकि प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने समायोजन की विधि को बदल दिया अर्थात भुगतान को पहले ब्याज के लिए समायोजित करके और

फिर मूलधन की ओर, रुपये के भुगतान के बाद भी। 12,82,96,320 / - , उनके अनुसार रु. 3,38,57,618/- अभी भी उनके बकाया थे। 2006 के I.A.No.6 में दिखाई गई उक्त गणना निम्नानुसार है:

Ext.P20 (श्रम निष्कासन)

(Ref.Ext।पी20)

सीसी विधेयक 14 से 78 में श्रम वृद्धि का दावा किया गया है

63284050

(अनुसूची 3)

9096582

सीसी विधेयक 79 से 85 में श्रम वृद्धि का दावा किया गया है

कुल

72380632

31.05.2005 @9 प्रतिशत तक कुल ब्याज

(अनुसूची 2 और 3)

(81716415 + 8056891)

89773306

31.5.2005 पर देय कुल राशि

162153938

कमः के. एस. ई. बोर्ड से प्राप्त राशियाँ (अनुसूची 6)

128296320

विभिन्न तिथियाँ (ब्याज के विरुद्ध पहले समायोजित और फिर मूल राशि)

(अनुसूची 5)

31.5.2005 पर देय शेष राशि

33857618

मूल राशि

22934559

ब्याज

10923059

33857618

विनियोग का यह तरीका, सबसे पहले ब्याज के लिए, इस न्यायालय द्वारा Ex.P20 के तहत भुगतान करने के लिए दिए गए निर्देशों और समायोजन की उस विधि का स्पष्ट उल्लंघन है जिसे प्रतिवादी-ठेकेदार ने स्वयं Ex.P20 में अपनाया था। मूल Ex.P20 में, जब प्रत्यर्थी ठेकेदार ने स्वयं अपीलार्थी द्वारा किए गए सभी भुगतानों को मूलधन के लिए स्पष्ट रूप से समायोजित किया है और ब्याज के लिए नहीं, तो प्रत्यर्थी ठेकेदार पहले ब्याज के खिलाफ और फिर मूलधन के लिए किए गए भुगतानों के समायोजन को दिखाकर गणना की विधि को बदल नहीं सकता है। समायोजन/विनियोग की विधि में परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण पहलू को उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था। Ex.P20 के तहत रुपये 4,12,58,224/का आगे भुगतान करने का उच्च न्यायालय का निर्देश टिकाऊ नहीं है।

14. वर्तमान मामले के तथ्यों में

जवाबदेह-ठेकेदार न्यायसंगत है

ब्याज के लिए पहली बार भुगतान का प्रावधानः प्रत्यर्थी-ठेकेदार के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ब्याज के साथ देय ऋण के मामले में, सामान्य नियम यह है कि कोई भी केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर.।

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

ऋणी द्वारा किए गए भुगतान को, पहली बार में, ब्याज की संतुष्टि के लिए समायोजित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही मूलधन को। के समर्थन में

उनके तर्क, विद्वान वकील ने मेघराज और अन्य बनाम पर भरोसा रखा। एमएस. बायबाई और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 274 और औद्योगिक ऋण और विकास सिंडिकेट जिसे अब I.C.D.S कहा जाता है। स्मिथबेन एच. पटेल (श्रीमती) और अन्य (1999) 3 एससीसी 80।

15. आई. डी. 1. के मामले में, निर्णय-देनदार द्वारा किए गए भुगतानों को कैसे समायोजित किया जाना है, इस पर विचार करते हुए, पैरा (14) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

14. ऊपर जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि एक अवमूल्यन राशि के लिए भुगतान के विनियोग का सामान्य नियम यह है कि ऐसी राशि को पहले डिक्री में निहित निर्देशों के अनुसार सख्ती से समायोजित किया जाना चाहिए और इस तरह के निर्देश के अभाव में, समायोजन पहले ब्याज और लागत के भुगतान में और उसके बाद मूलधन के भुगतान में किया जाना चाहिए।

राशि। हालाँकि, ऐसा सिद्धांत एक अपवाद के अधीन है, अर्थात, कि पक्ष डिक्री के बावजूद किसी अन्य तरीके से भुगतान के समायोजन के लिए सहमत हो सकते हैं। जब भी इस तरह के समझौते का अनुरोध किया जाता है, तो साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा उस व्यक्ति पर होती है जो सामान्य नियम या समझौते के विपरीत समझौते का अनुरोध करता है।

डिक्री अनुसूची की शर्तें। अनुबंध अधिनियम की धारा 59 से 61 के प्रावधान उन मामलों में लागू होते हैं जहां एक ऋणी पर एक व्यक्ति को कई अलग-अलग ऋण देय होते हैं और उन मामलों से नहीं निपटते हैं जिनमें मूलधन और ब्याज एक ही ऋण पर देय होते हैं।

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

16. मथुन्नी मथाई बनाम। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

और ओआरएस। , (1995) 4 एस. सी. सी. 26, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1976 में संशोधित आदेश XXI नियम 1 सी. पी. सी. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए पुरस्कार को निष्पादित करने में लागू होता है। मथुन्नी मथाई के मामले में, यह संकेत दिया गया था कि यदि अवमूल्यन राशि निर्णय द्वारा जमा की जाती है-ऋणी के अनुसार

न्यायालय के आदेश और निर्णय के लिए-ऋणी ने डिक्री धारक को ऐसी जमा राशि की सूचना नहीं दी है और यह भी निर्दिष्ट नहीं किया है कि राशि को किस तरीके से विनियोजित किया जाना चाहिए, तो डिक्री धारक निर्णय द्वारा जमा की गई राशि को विनियोजित करने का हकदार होगा-ऋणी सबसे पहले ब्याज और अन्य खर्चों के लिए और डिक्री धारक मूलधन के प्रति इसे समायोजित करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रेम नाथ कपूर और अन्र में। वी. नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य,

(1996) 2 एस. सी. सी. 71; मथुन्नी मथाई के मामले में निर्णय [2018] 11 एस. सी. आर. रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि आदेश XXI नियम 1 सी. पी. सी. को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगति के आधार पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय के निष्पादन तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

17. प्रेम नाथ कपूर के मामले में लिए गए विचार को मंजूरी दी गई

गुरप्रीत सिंह बनाम में एक सही दृष्टिकोण के रूप में। भारत संघ (2006) 8 एससीसी 457। हालाँकि गुरप्रीत सिंह के मामले में संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए पूछा गया सवाल यह था कि क्या प्रेम नाथ कपूर के मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही है और क्या प्रेम नाथ कपूर के मामले में निर्धारित "विनियोग के विभिन्न चरणों" के नियम को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना पर फिर से स्थापित करने की आवश्यकता थी, संविधान पीठ ने विशेष रूप से आदेश XXI नियम 1,2,4 और 5 सी. पी. सी. पर विचार किया और स्थिति स्पष्ट की। गुरप्रीत सिंह के मामले में निर्णय के प्रासंगिक हिस्से का उल्लेख करने के बाद, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम। आर. एस

अवतार सिंह एंड कंपनी (2013) 1 एस. सी. सी. 243, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उभरते सिद्धांतों का सारांश दिया:

" 31. उक्त निर्णय में जो कहा गया है, उससे निम्नलिखित है:

सिद्धांत उभरते हैं: 31.1.
अवमूल्यन राशि के लिए विनियोग का सामान्य नियम यह था कि ऐसी राशि को डिक्री में निहित निर्देशों के अनुसार सख्ती से समायोजित किया जाना था और ऐसे निर्देशों के अभाव में पहले ब्याज और लागत के भुगतान के लिए और उसके बाद मूलधन के भुगतान के लिए समायोजन किया जाना था।

निश्चित रूप से, पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के अधीन राशि।

31.2 . उप-नियम (4) और (5) को लागू करने में विधायी इरादा एक स्पष्ट संकेत है कि निर्णय-देनदार और दिए गए नोटिस या आदेश 21 में दिए गए तरीके से अदालत के बाहर दी जा रही राशि पर ब्याज देना बंद कर देना चाहिए।

नियम 1 (1) (बी)।

31.3 . यदि निर्णय-देनदार द्वारा किया गया भुगतान निर्धारित राशि से कम हो जाता है, तो डिक्री-धारक ब्याज के लिए जमा की गई राशि को विनियोजित करके, फिर लागत के लिए और अंत में डिक्री के तहत देय मूल राशि के लिए विनियोग के सामान्य नियम को लागू करने का हकदार होगा।

31.4 . इसके बाद इस राशि पर आगे कोई ब्याज नहीं लगेगा। प्रधान की ओर विनियोजित।

दूसरे शब्दों में यदि केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. डी. आर. का एक हिस्सा है। वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

मूल राशि का भुगतान उस हिस्से पर जमा ब्याज की सूचना जारी होने की तारीख को देय ब्याज के साथ किया गया है।

इसके बाद मूल राशि बंद हो जाएगी। 31.5 . ऐसे मामलों में जहां मूल राशि जमा करने में कमी आती है, डिक्री धारक पहले ब्याज और लागत को समायोजित करने का हकदार होगा और मूलधन के प्रति शेष राशि और उससे आगे डिक्री धारक पूरे लेनदेन को फिर से खोलने की मांग नहीं कर सकता है और पूरी मूल राशि पर ब्याज की पुनः गणना करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और पुनः विनियोग की मांग कर सकता है। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

18. जैसा कि गुरप्रीत सिंह के मामले में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है।

बी. एच. ई. एल. के मामले में अनुसरण किए गए मामले में, यदि भुगतान के विनियोग के तरीके के बारे में डिक्री में कोई निर्देश है, तो निर्णय द्वारा किए गए किसी भी भुगतान का विनियोग-देनदार को डिक्री में निहित निर्देश के अनुसार सख्ती से होना चाहिए। यदि ऐसी कोई दिशा नहीं है

डिक्री, फिर सामान्य सिद्धांत यह है कि जहां एक निर्णय-देनदार भुगतान को कैसे समायोजित किया जाना है, इसके बारे में कोई संकेत दिए बिना भुगतान करता है, यह लेनदार का विकल्प है कि वह पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन के लिए समायोजन करे। लेकिन यदि निर्णय-देनदार ने उस तरीके का संकेत दिया है जिसमें विनियोग किया जाना है, तो लेनदार के पास भुगतान को अलग तरीके से लागू करने का कोई विकल्प नहीं है। विनियोग के तरीके का सामान्य सिद्धांत सबसे पहले ब्याज के भुगतान में और उसके बाद मूल राशि के भुगतान में अपवाद के अधीन है अर्थात पक्ष डिक्री के बावजूद किसी अन्य तरीके से भुगतान के समायोजन के लिए सहमत हो सकते हैं।

19. 2000 के C.A.No.4092 में, इस न्यायालय ने Ex.P20 के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया। जैसा कि गुरप्रीत सिंह के मामले में कहा गया है, भुगतान किया जाना है

डिक्री में निहित निर्देशों के अनुसार सख्ती से विनियोजित। 2000 के C.A.No.4092 में, चूंकि इस न्यायालय ने Ex.P20 के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया था और इसलिए, भुगतान का विनियोग/समायोजन सख्ती से किया जाना चाहिए जैसा कि Ex.P20 में कहा गया है। जब दिशा की अदालत को Ex.P20 के अनुसार भुगतान करना है, प्रतिवादी-ठेकेदार घूमकर यह नहीं कह सकता है कि उसके द्वारा प्राप्त राशि को समायोजित किया जाएगा

पहले ब्याज की ओर और फिर मूलधन की ओर

20. 'धन का विनियोग' एक इरादे का संकेत है कि धन को एक विशेष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, स्वयं प्रत्यर्थी-ठेकेदार का बयान और अन्य परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि भुगतान को केवल [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

मूल राशि। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, Ex.P20 में प्रतिवादी ठेकेदार ने स्वयं मूल राशि और उस पर ब्याज के रूप में देय श्रम वृद्धि को अलग से दिखाया है और बोर्ड द्वारा किए गए अग्रिमों का श्रेय पहले मूलधन को दिया है और मूलधन की संतुलित राशि का दावा किया है। इस समय हम उपयोगी हो सकते हैं

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के अपने पत्र का पुनर्कथन करें-बोर्ड दिनांकित 25.11.1994 ऊपर पैरा (11) में निकाला गया है जहां प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने स्वयं कहा है कि उसने "श्रम वृद्धि शुल्क" के तहत दावा की गई मूल राशि से अग्रिम राशि काट ली है और "ब्याज" को अलग से दिखाया गया है।

21. अपने स्वयं के बयान से, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने सबसे पहले देय श्रम वृद्धि की दिशा में अग्रिम राशि को विनियोजित किया है, अर्थात

मूल राशि। प्रत्यर्थी-ठेकेदार गणना की विधि को बदलने और पहले भुगतान के विनियोग का दावा करने में उचित नहीं है।

ब्याज की ओर और फिर मूल राशि की ओर। प्रत्यर्थी-ठेकेदार का Ex.P20 के तहत ब्याज के साथ 559/- रुपये की अतिरिक्त राशि का दावा कायम नहीं रखा जा सकता है और उसी का भुगतान करने का उच्च न्यायालय का निर्देश रद्द किया जा सकता है।

22. एक-दूसरे का जवाब-ठेकेदार है

आंकलन पर समान रुचि रखने के लिए प्रेरित

EX.P20 में दावा किया गया: जहाँ तक Ex.P20 का संबंध है, 1995 के O. P. No.283 में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राहत प्रदान की:

" ..... इसलिए, हम प्रार्थना (बी) के रूप में प्रार्थना करते हैं और दूसरे प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पत्र जारी करते हैं। विवरण, Ext.P20 में दिखाई गई राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज।

1995 के ओ. पी. No.283 में, प्रत्यर्थी-प्रार्थना में ठेकेदार (बी) ने अपीलार्थी-बोर्ड को भुगतान करने का निर्देश देते हुए परमादेश पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर ब्याज के साथ विवरण Ex.P20 में दिखाई गई राशि। Ex.P20 "श्रम वृद्धि शुल्क" और उस पर अलग से दावा किए गए "ब्याज" से संबंधित है। जैसा कि 1995 के ओ. पी. No.283 में प्रार्थना (बी) से देखा गया है, भविष्य के हित के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी; इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा बाद में ब्याज के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

23. 2000 के सी. ए. No.4092 में इस न्यायालय के समक्ष अपील में, इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे संविदात्मक या वाणिज्यिक के बीच विवाद किसी वैधानिक निकाय की गतिविधियों को रिट अदालत में उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए था। हालाँकि, न्यूनतम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. डी. आर. के लिए श्रम वृद्धि अधिसूचना।

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

मजदूरी बहुत पहले 1983 में जारी की गई थी, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-ठेकेदार को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान करने के लिए आई. डी. 1 में दिखाई गई राशि का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 15. उच्च न्यायालय ने बोर्ड को भुगतान करने का निर्देश दिया है

विवरण विस्तार में दिखाई गई राशियों को ठेकेदार करें। पी-18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 20। परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने के बाद, हमें लगता है कि 18 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित और उचित होगा। बयान में एक्सट। पी-20, ठेकेदार ने 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की है। ब्याज राशि की गणना अब 18 प्रतिशत वार्षिक के बजाय 9 प्रतिशत की जाएगी। उच्च न्यायालय का विवादित फैसला है -

तदनुसार संशोधित "।

इस न्यायालय का उपरोक्त आदेश अपीलार्थी बोर्ड द्वारा भुगतान का निर्देश देता है।

केवल Ex.P20 में दिखाई गई राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज घटाया गया है। इस न्यायालय द्वारा Ex.P20 पर बाद में ब्याज का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं है।

24. धारा 34 सी. पी. सी. की उप-धारा (2) के तहत, जहां एक डिक्री मूल राशि पर आगे के ब्याज के भुगतान के बारे में चुप है, वह होगा -

माना जाता है कि मना कर दिया गया है। धारा 34 (2) सी. पी. सी. निम्नानुसार है:

34. रुचि है।

(1) .....

(2) जहाँ ऐसी डिक्री के भुगतान के संबंध में मौन है

डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख या अन्य पूर्व तिथि तक उपरोक्त कुल राशि पर अतिरिक्त ब्याज, न्यायालय द्वारा ऐसे ब्याज को अस्वीकार कर दिया गया समझा जाएगा, और इसलिए एक अलग मुकदमा नहीं होगा।

वर्तमान मामले में, चूंकि सी. पी. सी. की धारा 34 की उप-धारा (2) को देखते हुए भविष्य के ब्याज के लिए कोई निर्देश नहीं है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अदालत ने इस तरह के ब्याज को अस्वीकार कर दिया है। प्रत्यर्थी-ठेकेदार उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख (02.04.1998) के बाद और इस न्यायालय के निर्णय की तारीख (19.07.2000) के बाद किसी भी स्थिति में Ex.P20 के तहत देय राशि पर आगे के ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।

25. प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने स्वयं 2000 के सीए No.4092 में इस न्यायालय के आदेश को समझ लिया है कि इसके लिए कोई निर्देश नहीं था।

Ex.P20 के तहत देय राशि पर आगे ब्याज का भुगतान। 2006 के आई. ए. सं. 6 में, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने विशेष रूप से [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए प्रार्थना की।

अपीलार्थी को तुरंत अतिरिक्त ब्याज का भुगतान [2006 के आई. ए. सं. 6 में प्रार्थना (i)] जो इस न्यायालय द्वारा 2006 के आई. ए. सं. 6 का निपटारा करते समय अपने दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश में नहीं दिया गया था। अपीलार्थी-बोर्ड ने कुल रुपये का भुगतान किया है। 12,82,96,320 / - और बोर्ड के अनुसार, इसने प्रत्यर्थी को अधिक भुगतान किया है-ठेकेदार की एक अतिरिक्त राशि रु. 1,74,75,247/-। उच्च न्यायालय के अंतर्निहित आदेश और 2000 के सी. ए. No.4092 में बाद के ब्याज का भुगतान करने के लिए इस न्यायालय के आदेश में किसी भी निर्देश के अभाव में, प्रतिवादी-ठेकेदार Ex.P20 के तहत देय राशि पर बाद के ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं है। Ex.P20 के तहत रुपये 1,83,23,665/- के बाद के ब्याज का भुगतान करने का उच्च न्यायालय का निर्देश टिकाऊ नहीं है।

26. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में अपीलकर्ता-बोर्ड को Ex.P20 के तहत 4,12,58,224/- [रुपये 2,29,34,559/(मूलधन) और रु. 1,83,23,665/- (बाद का ब्याज) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

27. अतिरिक्त कार्य के लिए Ex.P59 के तहत दावा और

बाद का ब्याजः जहाँ तक Ex.P59 का संबंध है, यह अतिरिक्त कार्य करने की दिशा में है-सामग्री वृद्धि और श्रम वृद्धि। जहाँ तक Ex.P59 का संबंध है, 1995 के O.P.No.283 में मुकदमे के पहले दौर में, अपने फैसले के पैरा (26) में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 26. बोर्ड याचिकाकर्ता को श्रम वृद्धि भुगतान आदि सहित अब तक किए गए कार्यों के लिए उसके द्वारा उठाए गए बिलों का भी भुगतान करेगा। जैसा कि 1995 के ओ. पी. No.283 में आदेश दिया गया है।

28. प्रत्यर्थी-ठेकेदार का तर्क है कि 2000 के सी. ए. No.4092 में, क्योंकि इस न्यायालय ने इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

Ex.P59 के तहत किया गया प्रत्यर्थी का दावा, Ex.P59 के तहत भुगतान का निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया है और दावा की गई राशि उस पर Ex.P59 में उत्तरदाता-ठेकेदार को भुगतान किया जाना है। 2000 के सी. ए. No.4092 में अपील का निपटारा करते समय, इस न्यायालय ने निश्चित रूप से Ex.P59 के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए Ex.P59 के तहत प्रतिवादी के दावे की जांच इस न्यायालय के अवलोकन के संदर्भ में की जानी चाहिए कि "। संबंधित विवाद

इस तरह के अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या को अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में उत्तेजित नहीं किया जा सकता था

भारत का संविधान. "और"। क्या कोई राशि देय है और यदि है, तो कितना और अपीलार्थी द्वारा इसका भुगतान करने से इनकार करना उचित है या

नहीं, ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें उत्तेजित किया जा सकता था और केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ए. एन. आर. का निर्णय लिया जा सकता था।

29. जो भी हो, जहां तक Ex.P59 का संबंध है, ठेकेदार ने अतिरिक्त कार्य के लिए रु. 5,55,62,597/- का दावा किया है। विभागीय सामग्री और बोर्ड ने 2006 के I.A.No.6 में प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा किए गए दावे पर विवाद किया है और अनुरोध किया है कि ठेकेदार द्वारा किया गया कुल काम केवल रु। 1,55,65,817 / - विभागीय सामग्री की लागत सहित। 2006 के I.A.No.6 में बोर्ड द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" 56. एक्सट के अनुसार। पी59, ठेकेदार ने विभागीय सामग्री और निविदा अतिरिक्त, सामग्री वृद्धि और श्रम वृद्धि को छोड़कर, 597/- रुपये की राशि की मांग की थी। इनमें से 23 वस्तुओं का ठेकेदार द्वारा Ext.P59 में गलत दावा किया गया था और ठेकेदार द्वारा अपने अगले बिल में उन्हें वापस ले लिया गया था। अर्थात् सी. सी. 86 विधेयक बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। गलत तरीके से दावा की गई उपरोक्त 23 वस्तुओं की राशि Rs.49,40,251/- पर आएगी। अत: ठेकेदार द्वारा दावा की गई शुद्ध राशि रु. 5,06,22,346/- होगी। जबकि, ठेकेदार द्वारा किया गया कुल काम था

प्रदर्शनी पी59 में ठेकेदार द्वारा दावा की गई प्रत्येक वस्तु और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए दावे और उनकी टिप्पणियों पर एक विस्तृत विवरण जोड़ा जाता है "।

प्रस्तुत किया कि विभिन्न वस्तुओं पर Ex.P59 में प्रत्यर्थी-ठेकेदार के दावे को अपीलार्थी द्वारा 2007 के WP (C) No.31108 में दायर अपने काउंटर में विवादित नहीं किया गया था। यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसा कि बताया गया है। ऊपर, प्रत्यर्थी के दावे-Ex.P59 में प्रत्येक वस्तु पर ठेकेदार, अपीलकर्ता-बोर्ड ने 2006 के I.A.No.6 में एक विस्तृत जवाब दायर किया है, जिसमें प्रत्येक वस्तु पर दावे पर विवाद किया गया है।

प्रतिवादी-ठेकेदार। यह इस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने 2006 की आई. ए. संख्या 6 का यह कहते हुए निपटारा किया है कि मात्रा के संबंध में विवाद है।

देय राशि और प्रत्यर्थी-ठेकेदार को उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देना। विवादित निर्णय से यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय ने 2006 के आई. डी. 1 में अपीलकर्ता बोर्ड द्वारा दायर काउंटर पर भी ध्यान दिया है जिसमें अपीलकर्ता-बोर्ड ने प्रत्येक [2018] 11 एस. सी. आर. पर विवाद किया था।

Ex.P59 में वस्तुओं में से एक और अपने क्रम में उसी को संदर्भित करता है और वही नीचे पढ़ा गया है:

" 9. ..... अगर हम पैराग्राफ 56 में बोर्ड के बयान को स्वीकार करते हैं

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर काउंटर की शुद्ध राशि

निविदा अतिरिक्त, सामग्री वृद्धि और श्रम को छोड़कर वृद्धि केवल रु. 5,06,22,346/- हो सकती है। ..... का विवाद

बोर्ड करें कि उपरोक्त राशि में से केवल रु. 1,55,65,817/- है देय राशि को प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माप था

निर्णय के दस साल बाद बोर्ड द्वारा लिया गया (Ext.P1)।

31. उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ कर कहा कि

अपीलार्थी कि केवल रु. 1,55,65,817/- Ex.P59 के तहत देय है, प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोर्ड द्वारा निर्णय (Ex.P1) के दस साल बाद माप लिया गया था; जबकि ठेकेदार के दावे वास्तविक माप पर ठेकेदार द्वारा तब और वहाँ किए गए थे। पक्षों के बीच विवाद का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ अतिरिक्त कार्यों के साथ-साथ संविदात्मक दरों के वास्तविक माप के संबंध में विवाद है, इसे तथ्यात्मक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए और गणना की जानी चाहिए और इस मामले पर पक्षों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-बोर्ड को रु. 8,79,71,154/- [रु. 5,81,53,892/- (मूलधन) और रु. 2,98,17,262/- (ब्याज)] का भुगतान करने का निर्देश दिया। रुपये 5,81,53,892/- की मूल राशि का विभाजित आंकड़ा इस प्रकार है:

1

,55,65,817

बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए Ex.P59 में दावा

.....

Ex.P59 का 98 प्रतिशत सामग्री वृद्धि

1

,52,54,501

Ex.P59 के 173.60% पर श्रम वृद्धि। ... .

2

,70,22,258

3,11,316

Ex.P59 के 2 प्रतिशत पर निविदा अधिशेष

5,8

1,53,892

32. उच्च न्यायालय ने श्रम के लिए एकल समान दर का आदेश दिया

173.60% पर वृद्धि और Ex.P59 के 98% पर सामग्री वृद्धि। अपीलार्थी-बोर्ड का तर्क है कि 98 प्रतिशत और 173.60 प्रतिशत की समान दर पर भुगतान करने का उच्च न्यायालय का निर्देश समझौते की शर्तों और प्रतिवादी ठेकेदार की अपनी गणना के अनुसार विरोधाभासी है। बोर्ड के अनुसार, सामग्री वृद्धि और श्रम वृद्धि की गणना मासिक आधार पर की जानी है जैसा कि प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा अन्य बिलों में दावा किया गया है।

Ex.P20 में, प्रतिवादी-ठेकेदार केराला राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. डी. आर.। वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

स्वयं मासिक आधार पर श्रम वृद्धि की गणना की और अपने स्वयं के पूर्व उदाहरण का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा कि मासिक आधार पर श्रम वृद्धि की गणना करने का प्रत्यर्थी का अपना तरीका और क्रमशः 173.60% और 98% की एकल समान दर पर श्रम वृद्धि और सामग्री वृद्धि की अनुमति देने में गलती और उच्च न्यायालय का रु. 5,81,53,892/- का भुगतान करने का निर्देश टिकाऊ नहीं है। तब से

अपीलार्थी ने रुपये. 1,55,65,817/- की राशि को Ex.P59 के तहत देय के रूप में स्वीकार किया है, जो मासिक आधार पर गणना की गई श्रम वृद्धि और सामग्री वृद्धि के साथ देय है।

33. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बाद में भुगतान करने का निर्देश दिया है

Ex.P59 के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर 262/- रुपये का ब्याज। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा भविष्य में ब्याज का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं था। मुकदमे के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने केवल अपीलार्थी को Ex.P20 में दिए गए आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। धारा 34 सी. पी. सी. की उप धारा (2) के स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए, Ex.P59 के तहत भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं है। Ex.P59 के तहत किए गए दावों पर भविष्य में 262/- रुपये का ब्याज देने का उच्च न्यायालय का निर्देश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

34. आर्बिट्रेशन का संदर्भ: इशारा करने के बाद

पक्ष से लिखित निर्देश के बिना वकील द्वारा दी गई मौखिक सहमति पर मध्यस्थता। 35. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए न्यायिक पूर्व शर्त यह है कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ या प्रस्तुति की मांग करनी चाहिए। जहाँ तक धारा 89 सी. पी. सी. के तहत मध्यस्थता के लिए किसी विवाद का संदर्भ है, वही तभी किया जा सकता है जब पक्ष धारा 89 सी. पी. सी. में निर्धारित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्य तरीकों के विपरीत मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद के निपटारे के लिए सहमत हों। जहाँ तक मध्यस्थता के लिए पक्षों का संदर्भ है, निर्देश के लिखित ज्ञापन के बिना वकील द्वारा दी गई मौखिक सहमति धारा 89 CPC.Since [2018] 11 एस. सी. आर. के तहत आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से उन्हें दीवानी न्यायालयों की धारा से दूर ले जाने और उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही की कठोरता के अधीन करने के गंभीर परिणाम होते हैं, मध्यस्थता समझौते के अभाव में, न्यायालय उन्हें केवल पक्षकारों की लिखित सहमति से या तो संयुक्त ज्ञापन या संयुक्त आवेदन के माध्यम से मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है; विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता-बोर्ड जैसे सरकारी या वैधानिक निकाय शामिल होते हैं।

36. इस बात पर जोर देते हुए कि धारा 89 सी. पी. सी. के तहत, पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना केवल तभी किया जा सकता है जब पक्ष समझौते के लिए सहमत हों। एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. में न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त आवेदन या एक संयुक्त हलफनामे द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का। वी. चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड और अन्य। (2010) 8 एस. सी. सी. 24, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 33. भले ही कोई पूर्व-विद्यमान मध्यस्थता समझौता न हो, लेकिन मुकदमे के पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं जब अदालत द्वारा धारा 89 के तहत उन्हें एडीआर प्रक्रियाओं का विकल्प दिया जाता है।

या आदेश में अदालत द्वारा समझौते के रिकॉर्ड द्वारा पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित पत्रक। एक बार जब पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में ऐसा समझौता हो जाता है, तो मामले को भेजा जा सकता है

संहिता की धारा 89 के तहत मध्यस्थता; और ऐसे संदर्भ पर, ए. सी. अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता पर लागू होंगे, और जैसा कि सलेम बार बार एसोसिएशन, टी. एन. बनाम में देखा गया है। भारत संघ (1) (2003) 1 एस. सी. सी. 49, मामला स्थायी रूप से अदालत की धारा के बाहर जाएगा और अदालत में वापस नहीं आएगा।"

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

शैलेश धैर्यवान बनाम में भी इसी विचार को दोहराया गया था। मोहन बालकृष्ण लुल्ला, (2016) 3 एस. सी. सी. 619 जो इस प्रकार हैः

" 28. इस न्यायालय द्वारा पहले के कुछ निर्णयों में यह देखा गया है कि धारा 89 सी. पी. सी. बहुत खुशी से नहीं लिखी गई है। चाहे जो भी हो, धारा 89 में विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान है अर्थात वे तरीके जो अदालत के वैकल्पिक हैं और अदालत के न्यायिक कार्य से बाहर हैं। उनमें से एक जिसके बारे में हम चिंतित हैं, वह है मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान। जहाँ तक मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा यह व्याख्या की गई है कि न्यायालय के आदेशों द्वारा लंबित मुकदमे में मध्यस्थता का सहारा केवल तभी लिया जाएगा जब पक्ष केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ए. एन. आर. पर सहमत होंगे।

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

मध्यस्थता के माध्यम से उनके विवाद के निपटारे के लिए,

मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (संक्षेप में "एडीआर") के लिए विरोधाभास जहां न्यायाधीश को पक्षकारों की सहमति प्राप्त किए बिना भी पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विवेक है। इस प्रकार, मध्यस्थता का संदर्भ पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से होता है। यह विवाद में नहीं है कि मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ के लिए पक्षों के बीच एक समझौता था और इसे इस तरह संदर्भित किया गया था।

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

37. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-ठेकेदार को रखा गया

बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम पर निर्भरता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। , (1992) 1 एस. सी. सी. 31 में यह तर्क दिया गया है कि वकील के पास किसी पक्ष की ओर से मध्यस्थता के लिए सहमति देने का निहित अधिकार है। बायराम पेस्टनजी में गरीवाला मामले में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वकील को निहित अधिकार पर तब तक कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कि समझौते या समझौते द्वारा मुकदमे के तत्काल समायोजन की मांग करने वाली परिस्थितियों की आवश्यकता न हो और अनुचित देरी के बिना पक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए जा सकते। बायराम पेस्टनजी गरीवाला मामले के पैरा (37) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 37.हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह विवेकपूर्ण होगा।

वकील के लिए निहित अधिकार पर कार्य नहीं करने के लिए सिवाय इसके कि कब

माँग करने वाली परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण

समझौते या समझौते द्वारा मुकदमे का तत्काल समायोजन और पक्ष के हस्ताक्षर बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

अनुचित देरी। इन दिनों में आसान और तेज़

संचार, ऐसी आकस्मिकता शायद ही कभी उत्पन्न हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बुद्धिमान और सावधानीपूर्वक सलाह देने वाला व्यक्ति इन सभी से निपटने के लिए लिखित रूप में व्यक्त किए गए आवश्यक अधिकार के साथ पहले से ही खुद को तैयार कर लेगा। आकस्मिकताएँ ताकि न तो उसके अधिकार और न ही सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह किया जाए। यह आवश्यक सावधानी वकील की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करने के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखेगी।

कानूनी पेशा "।

38. बाद के निर्णय में आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के तहत समझौते की जांच के संदर्भ में, बनवारी लाल बनाम। चंदो देवी (श्रीमती) (एल. आर. के माध्यम से) और अन्र। (1993) 1 एस. सी. सी. 581, इस न्यायालय ने कहा है कि बायराम पेस्टनजी गरीवाला के मामले ने मामले की अनदेखी की थी। गुरप्रीत सिंह बनाम में निर्धारित कानून। चतुर भुज गोयल (1988) 1 एस. सी. सी. 270 और यह अभिनिर्धारित किया कि जब पक्ष समझौता करते हैं, तो अदालत को [2018] 11 एस. सी. आर.

पक्षों पर जोर दें कि समझौते को लिखित रूप में कम किया जाए। बनवारी लाल मामले में पैरा (10) में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 10 ..... इसके बावजूद आदेश का उद्देश्य समझौता याचिका में उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर वादी के मुकदमे को खारिज करना था। इस प्रकार, उस आदेश की वैधता होनी चाहिए

इसे संहिता के आदेश 23 के नियम 3 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में पारित किया गया माना जाने वाला आदेश मानते हुए न्याय किया जाएगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश को समझौते की उक्त याचिका को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए था अगर उसे कथित धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी

अपीलार्थी पर उसके वकील ने वकालत की, क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि समझौते की याचिका पर प्रत्यर्थी या उसके वकील ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए था।

अदालत द्वारा। गुरप्रीत सिंह बनाम के मामले में। चतुर भुज गोयल (1988) 1 एससी 207 में कहा गया है: (एस. सी. सी पी. 276, पैरा 10)

समझौता, समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनके बीच एक पूर्ण समझौता होना चाहिए। किसी समायोजन का गठन करने के लिए समझौता या समझौता स्वयं एक डिक्री में सन्निहित होने में सक्षम होना चाहिए। जब पक्ष इस दौरान समझौता करते हैं

किसी वाद या अपील की सुनवाई में समझौते को कम करने की आवश्यकता का कोई कारण नहीं है।

पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखत के रूप में लेखन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए अदालत को पक्षों पर लिखित रूप में शर्तों को कम करने के लिए जोर देना चाहिए।

39. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना गंभीर नागरिक है

परिणाम। एक बार जब पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, तो कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी और मामला दीवानी अदालत के दायरे से बाहर जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 19 के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्षय अधिनियम से बाध्य नहीं होगा। एक बार पुरस्कार पारित हो जाने के बाद, पुरस्कार को केवल सीमित आधारों के तहत अलग रखा जाएगा। इसलिए, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के प्रक्रियात्मक और ठोस रूप से गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। जब एक संयुक्त केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ए. एन. आर. के बिना पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था।

वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

ज्ञापन या पक्षकारों का एक संयुक्त आवेदन, उच्च न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजना चाहिए था।

40. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने वाला विवादित आदेश, किसी भी स्थिति में, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य आधारों पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है। जबकि

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए, विवादित निर्णय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विवादों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली कई टिप्पणियां की हैं, अर्थात्: - (i) किए गए कार्यों के लिए माप की जांच करें-"दस साल के निर्णय के बाद बोर्ड द्वारा किए गए माप; जबकि ठेकेदार द्वारा वास्तविक माप पर तब और वहाँ किए गए दावे"; (ii) प्रतिशत

उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित श्रम वृद्धि दर @173.60% श्रम वृद्धि में प्रतिवादी ठेकेदार द्वारा अपनाई गई गणना की पूर्व पद्धति के विपरीत है; और (iii) सामग्री वृद्धि दर @98%। विवादित फैसले में ये टिप्पणियां गंभीर रूप से पूर्वाग्रह पैदा करेंगी।

अपीलार्थी के अधिकार-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने में बोर्ड।

41. प्रत्यर्थी-ठेकेदार का तर्क है कि अपीलकर्ता बोर्ड ने न्यायाधिकरण और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के समक्ष मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति का मुद्दा नहीं उठाया है। तब से अपीलार्थी-बोर्ड ने इस न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश को चुनौती दी है

विचार के लिए लंबित मामला, अपीलकर्ता-बोर्ड मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अधिकार क्षेत्र की कमी का मुद्दा नहीं उठा सकता था और प्रतिवादी-ठेकेदार का तर्क स्वीकृति के योग्य नहीं है।

42. मध्यस्थ ने Rs.19,98,05,805.72 के लिए दिनांकित 30.09.2012 को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पारित कर दिया है।

29.10.2012 पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.21,55,34,430.55 के रूप में सुधार किया गया। अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को जिला न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम द्वारा दिनांक 23.12.2015 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (2013 की मध्यस्थता अपील संख्या-47) की धारा 37 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी-बोर्ड को दिनांकित 20.02.2017 आदेश के माध्यम से वचन देने पर प्रतिवादी-ठेकेदार को पांच करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, इस न्यायालय ने 2013 की मध्यस्थता अपील संख्या Z-47 को उच्च न्यायालय में वापस भेजने का निर्देश दिया। चूंकि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2013 की मध्यस्थता अपील संख्या जेड-47 को अनुमति दी जाएगी।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका के अभ्यास में

136 भारत के संविधान के बारे में-यह न्यायालय कुछ भी हस्तक्षेप कर सकता है: प्रत्यर्थी-ठेकेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय आम तौर पर तथ्य के साक्षय और निष्कर्षों की फिर से सराहना नहीं करता है जब तक कि न्याय की विफलता या प्रकट अवैधता न हो। उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने एल. आर. द्वारा ताहेराखातून (डी) पर भरोसा रखा। वी. सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी. 635।

44. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय आम तौर पर साक्षय की पुनः सराहना नहीं करता है और तथ्य के निष्कर्ष; लेकिन जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं या निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है, सर्वोच्च न्यायालय केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करेगा कि निष्कर्ष

विचाराधीन तथ्य के निष्कर्ष हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग की गुंजाइश पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 141, इस न्यायालय ने पैरा (35) में सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

" 35. इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की बारीकी से जांच से

न्यायालय द्वारा उल्लिखित निर्णयों की उपरोक्त श्रृंखला में

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की शक्ति का प्रयोग करने के प्रश्न पर,

अतः निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां

भारत का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

यदि उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की है तो यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला है।

विपरीत या अन्यथा अनुचित रूप से।

जब उनके समर्थन में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय

संबंधित मामले विश्वसनीयता और स्वीकार्यता से कम हो गए और इस तरह इस पर कार्रवाई करना अत्यधिक असुरक्षित और अनुचित है।

साक्षय और निष्कर्ष का मूल्यांकन प्रक्रिया के कानून की किसी भी त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाए जाने, अभिलेख की त्रुटियों और साक्षय के गलत अध्ययन, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत और साक्षय से असमर्थनीय हैं, से दूषित हो जाता है।

रिकॉर्ड में।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कुरियन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

साक्षय की सराहना और खोज के परिणाम गंभीर होते हैं

न्याय की विफलता या प्रकट अवैधता।

जहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष विकृत या बिना किसी साक्षय या अप्रासंगिक साक्षय के आधार पर दिखाए जाते हैं या उक्त निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितताएँ हैं या जहाँ न्यायालय को लगता है कि न्याय विफल हो गया है और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अनावश्यक रूप से अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है।

जब उच्च न्यायालय ने एक दीवानी अपील में मुद्दे में एक तथ्य को फिर से निर्धारित किया है, और इसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में गलती की है

अनुमान।

फैसला पलटने का उचित फैसला नहीं था।

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

45. वर्तमान मामले में, रुपये के अनुबंध के लिए। मूल पी. ए. सी. राशि के तहत 7 करोड़ 76 लाख रुपये और संशोधित पी. ए. सी. राशि 7 करोड़ 76 लाख रुपये है। 10.40 अपीलार्थी-बोर्ड ने अब तक करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 56.58 करोड़ और अतिरिक्त रूप से इस न्यायालय के दिनांक 20.02.2017 के आदेश द्वारा पाँच करोड़ रुपये। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं जो अपीलार्थी जैसे सांविधिक निकाय को नुकसान पहुंचाते हैं-बोर्ड, यह न्यायालय केवल इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार नहीं करेगा कि विचाराधीन निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं। यदि उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखना है, तो बोर्ड को लगभग 1 करोड़ रुपये का कुल भुगतान करना होगा, जिससे अपीलार्थी को भारी नुकसान होगा जो अंततः उपभोक्ताओं को दिया जाएगा और विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

46. जब हम विवादित निर्णय को दरकिनार करते हैं, तो पारित किया जाने वाला आदेश/निर्देश क्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि चर्चा की गई

इससे पहले, Ex.P20 के तहत, अपीलकर्ता-बोर्ड ने रु. 1,74,75,247/- का अतिरिक्त भुगतान किया है। दिनांक 20.02.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत करने के अधीन पांच करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। Ex.P59 के अनुसार, प्रतिवादी ठेकेदार ने किए गए काम के लिए रु. 5,55,62,597/- का दावा किया; सामग्री वृद्धि और श्रम वृद्धि शुल्क का अतिरिक्त दावा किया गया। ने स्वीकार किया Ex.P59 के तहत राशि केवल रु. 1,55,65,817/- थी। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, Ex.P59 के तहत दावा की गई राशि पर भी बाद में ब्याज नहीं लगेगा। सामग्री वृद्धि और अतिरिक्त श्रम वृद्धि

शुल्क की गणना केवल मासिक आधार पर की जानी है। चूंकि उत्तरदाता-ठेकेदार को रु. 6,74,75,247/- (रु. 1,74,75,247/- और रु. 5,00,00,000/-) की राशि का भुगतान किया गया है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि इसे [2018] 11 एस. सी. आर. के रूप में माना जाए।

Ex.P59 के तहत सभी दावों के लिए, जिसमें निविदा अधिशेष, सामग्री यू. आर. वृद्धि शुल्क शामिल हैं।7. निष्कर्ष: -परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और इन अपीलों को निम्नलिखित आयनों और निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है:

● जैसा कि गुरप्रीत सिंह के मामले में कहा गया है, भुगतान को निहित निर्देशों के अनुसार सख्ती से विनियोजित किया जाना है।

आदेश में। 2000 के C.A.No.4092 में, इस न्यायालय ने Ex.P20 के अनुसार भुगतान का निर्देश दिया। Ex.P20 में, प्रतिवादी-ठेकेदार ने स्वयं मूलधन के रूप में देय श्रम वृद्धि को दिखाया है।

राशि और उस पर ब्याज अलग से दिया जाता है और अपीलार्थी द्वारा की गई अग्रिम राशि का श्रेय दिया जाता है-बोर्ड पहले मूलधन की ओर जाता है और शेष राशि का दावा करता है। प्रत्यर्थी ठेकेदार गणना के तरीके को बदलने में सही नहीं है, जिसमें पहले ब्याज के लिए भुगतान का विनियोग किया जाता है और

फिर मूल राशि की ओर। Ex.P20 के तहत रु. 2,29,34,559/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है।

) धारा 34 सी. पी. सी. की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के अंतर्निहित निर्णय और 2000 की सी. ए. No.4092 में इस न्यायालय के निर्णय में बाद के ब्याज का भुगतान करने के निर्देश के अभाव में, प्रतिवादी-ठेकेदार Ex.P20 के तहत देय राशि पर बाद के ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय का बाद में ब्याज का भुगतान करने का निर्देश

रुपये. 1,83,23,665/- को Ex.P20 के तहत अलग रखा गया है;

i) श्रम वृद्धि और सामग्री का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश

173.60% और 98% की एकल समान दर पर वृद्धि

अतिरिक्त कार्य के लिए बिलों के लिए और उत्तरदाता को 892/- रुपये का भुगतान करने के लिए क्रमशः अलग रखा जाता है। धारा की उप-धारा (2) के स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए

34 सी. पी. सी., Ex.P59 के तहत भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं है। द.

भविष्य में ब्याज का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश

Ex.P59 के तहत किए गए दावों पर रु. 2,98,17,262/- अलग रखे गए हैं;

✓) जब पक्षकारों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, एक संयुक्त ज्ञापन या पक्षों के संयुक्त आवेदन के बिना, उच्च न्यायालय को पक्षकारों को आर. ए. एल. ए. राज्य निर्वाचन बोर्ड और ए. एन. आर. को संदर्भित नहीं करना चाहिए था।

वी. राइन ई. कलथिल और ए. एन. आर. [आर. भानुमति, जे.]

मध्यस्थता। इसलिए, पुरस्कार दिनांक 29.10.2012 द्वारा पारित किया गया

मध्यस्थ न्यायमूर्ति के. ए. नायर को दरकिनार कर दिया जाता है और मध्यस्थता

अपीलार्थी द्वारा दायर 2013 की अपील संख्या जेड-47-बोर्ड लंबित

केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अनुमति है;

) रुपये की राशि. 1,74,75,247/- का भुगतान Ex.P20 के तहत किया जाता है।

Ex.P20 के तहत दावे की अधिकता और राशि

रुपये

प्रत्यर्थी को पाँच करोड़ का भुगतान किया गया-ठेकेदार के आदेश के अनुसार

यह न्यायालय दिनांकित 20.02.2017 के तहत भुगतान के रूप में माना जाए

वृद्धि और श्रम वृद्धि शुल्क और सभी को पूरी तरह से छोड़ दें Ex.P59 के तहत दावे;

i) पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करनी होगी।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

डे।